भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2748
04 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी और डीकार्बोनाइजेशन पहल

2748. श्रीमती प्रतिमा मण्डलः

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी' और कई डीकार्बोनाइजेशन पहलों की घोषणा की है और यदि हां, तो उत्पादकों, विशेषकर द्वितीयक इस्पात निर्माताओं को केवल पायलट-स्तरीय परियोजनाओं के बजाय व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सक्षम बनाने में प्राप्त प्रत्यक्ष प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) से भारत के इस्पात निर्यात के अत्यधिक रूप से प्रभावित होने की संभावना है और यदि हां, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी कम-कार्बन वाले इस्पात उत्पादन की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए भारतीय निर्यातकों की रक्षा के लिए क्या रणनीति अपनाई गई है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) जी, हां। इस्पात मंत्रालय ने दिनांक 23.12.2024 को ग्रीन स्टील के लिए वर्गीकरण अधिसूचित किया है। ग्रीन स्टील वर्गीकरण ग्रीन स्टील के उत्पादन और उसके लिए बाजार के निर्माण हेतु एक रूपरेखा प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, अधिसूचित ग्रीन स्टील वर्गीकरण फ्रेमवर्क के तहत 90 इस्पात इकाइयों को ग्रीन स्टील प्रमाणन प्रदान किया गया है।

(ख) सरकार ने इस्पात क्षेत्र के हरित परिवर्तन के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं, जो भारतीय इस्पात निर्यात को भी सहयोग प्रदान करेंगी:-

(i) इस्पात मंत्रालय ने कम उत्सर्जन वाले इस्पात को परिभाषित और वर्गीकृत करने के लिए ग्रीन स्टील के लिए वर्गीकरण जारी किया है।

(ii) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत इस्पात क्षेत्र में हाइड्रोजन के उपयोग हेतु पायलट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए चार पायलट परियोजनाएं आवंटित की गई हैं।

जारी...2/-

(iii) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जनवरी, 2010 में शुरू किया गया राष्ट्रीय सौर मिशन सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है और इस्पात उद्योग के उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करता है।

(iv) विद्युत मंत्रालय ने विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में भारतीय कार्बन बाजार को विनियमित करने के लिए दिनांक 28.06.2023 को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (सीसीटीएस) अधिसूचित की है, जो इस्पात संयंत्रों पर भी लागू होती है।

*****